तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
5/7/23	वकील प्रार्थी / पैरोकार सरकार उपस्थित। सरकार पैरोकार ने जवाब प्रस्तुत किया गया वास्ते बहस त. ई. दिनांक 10/7/23 को पेश हो। SDM
10/7/23	वकील प्रार्थी / पैरोकार सरकार उपस्थित पत्रावली पर बहस सुनी जाकर आदेश दिनांक 13/7/23 को पेश हो। SDM
13/7/23	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी / पैरोकार उपस्थित। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सा० कि० निपटारा गया। पत्रावली मौसूल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील जिला अभिलेख भण्डार भेजी जावे। SDM उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी लाखनसिंह गुर्जर आर ए एस

प्रार्थना पत्र संख्या 03 / 1 / 2023

वउनवान

1. भगवानसिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाटव निवासी मथुराहेडा तहसील कठूमर जिला अलवर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कठूमर जिला अलवर-

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यु एक्ट

उपस्थित

श्री बनयसिंह चौधरी– अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश दिनांक 13/7/2023

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यु एक्ट के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आ0 ख0 न0 110 रकवा 0.85 हे.का 1/9 हिस्सा खसरा नम्बर 254 रकवा 0.38 हे. 255 रकवा 0.40 हे. किता 2 रकवा 0.78 हे. का 1/90 हिस्सा ग्राम मथुराहेडा तहसील कठूमर में स्थित है। प्रार्थी का नाम भगवानसिंह है। भगवानसिंह ही प्रार्थी के पहचान के दस्तावेजात आधार कार्ड, पहचान पत्र तथा अन्य पहचान के दस्तावेजात में दर्ज है। राजस्व कर्मचारियान ने उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम कल्लू उर्फ भगवानसहाय अंकित कर दिया है। जो गलत है। हाल राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम भगवानसिंह के स्थान पर कल्लू उर्फ भगवानसहाय गलत रूप से दर्ज चला आ रहा है जिस कारण प्रार्थी को काफी असुविधा हो रही है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

दस्तावेजात में दर्ज है।

प्रार्थी उक्त आराजी के हाल राजस्व रिकार्ड से कल्लू उर्फ भगवानसहाय के स्थान पर अपना नाम कल्लू उर्फ भगवानसिह दर्ज कराने हेतु हाल राजस्व रेकार्ड दुरूस्ती करने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया है जो स्वीकार किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिय नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार ने दिनांक 28.02.2023 को हाजिर होकर जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थी का नाम भगवानसिंह हो इसे प्रार्थी स्वंय सावित करे। विना सक्षम न्यायालय के आदेश से ऐसी दुरूस्ती किया जाना संभव नहीं है। ऐसी दुरूस्ती से राजहित प्रभावित नहीं होता है। उचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र की ताइद में नकल जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 वाके ग्राम मथुराहेडा शपथ पत्र की छाया प्रति, जनआधार राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राज0 का प्रमाण पत्र–अंकतालिका की छाया प्रति पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व पैरोकार सरकार की वहस सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी वहस के दौरान अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी का नाम कल्लू उर्फ भगवानसहाय नहीं है बल्कि कल्लू उर्फ भगवानसिह है प्रार्थी के राशनकार्ड, जनआधार, मतदाता पहचान पत्र व पढाई के दस्तावेजों में भगवानसिंह दर्ज है। हाल राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम कल्लू उर्फ भगवानसिह के स्थान पर कल्लू उर्फ भगवानसहाय दर्ज हो रहा है जिस रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। अप्रार्थी पैरोकार ने प्रार्थी के नाम को कल्लू उर्फ भगवानसहाय के स्थान पर कल्लू उर्फ भगवानसिह दुरूस्त किये जाने से राज्य हित प्रभावित नहीं होना कथन किया है। अतः पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड व प्रार्थी के नाम के दस्तावेजात के अवलोकन करने व विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व विद्वान पेरोकार की वहस पर मनन करने पर यह सावित है कि प्रार्थी का नाम कल्लू उर्फ भगवानसहाय न होकर कल्लू उर्फ भगवानसिह पुत्र रामजीलाल है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सावित होने से स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर आ0 ख0 न0 110 रकवा 0.85 हे.का 1/9 हिस्सा खसरा नम्बर 254 रकवा 0.38 हे. 255 रकवा 0.40 हे. किता 2 रकवा 0.78 हे. का 1/90 हिस्सा ग्राम मथुराहेडा तहसील कठूमर के हाल राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम कल्लू उर्फ भगवानसहाय पुत्र रामजीलाल के स्थान-पर कल्लू उर्फ भगवानसिह पुत्र रामजीलाल दर्ज कर हाल राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने के आदेश तहसीलदार कठूमर को दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार हाल राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करे। आदेश की प्रति तहसीलदार कठूमर को बास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे।

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

अतः यह आदेश आज दिनांक 13/7/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०